कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़
सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-316/2023 दिनांक-30.09.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- निजामाबाद

जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार

माननीय न्यायालय अपर जिला अधिकारी प्रशासन मण्डल आजमगढ जनपद तहसील के बाद सं0 4451/2022 कम्प्यूटरीकृत बाद स0 D 20221500004451 स्टेट बनाम मंजेश राय अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 में उपरोक्त मजेश राय दिनांक 11.07.2023 को जिला बदर किया गया है तथा अभियुक्त को आदेश की एक प्रति तामिल कर नियमानुसार जनपद आजमगढ की सीमा से बाहर किया गया था लेकिन अभियुक्त उपरोक्त द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश उपरोक्त की अवहेलना की गयी और जनपद सीमा से बाहर करने के उपरान्त भी अभियुक्त अपने घर पर लगातार आ रहा है अभियुक्त द्वारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1970 मे पारित आदेश का उल्लंगन किया गया है जो धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1970 का अपराध है। जिसमें आरोपी मंजेश राय उपरोक्त जिलाबदर होने के बावजूद भी घर पर रह रहा था । आज दिनांक 30.09.2023 को व0उ0नि0 कुलदीप सिंह द्वारा गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0- 428/23 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 बनाम मंजेश राय पुत्र स्व0 जयप्रकाश राय निवासी खादा थाना निजामाबाद आजमगढ पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण - प्राप्त सुचनानुसार व0उ0नि0 कुलदीप सिंह मय हमराह द्वारा जिला बदर अपराधी मंजेश राय पुत्र स्व0 जयप्रकाश राय निवासी खादा थाना निजामाबाद आजमगढ को अभियुक्त के घर ग्राम खादा से समय 11.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा माननीय न्यायालय चालान किया गया।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0- 428/23 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- मंजेश राय पुत्र स्व0 जयप्रकाश राय निवासी खादा थाना निजामाबाद आजमगढ

आपराधिक इतिहास- 1. मु0अ0सं0 247/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0- 469/22 धारा 323/504/506/336/427 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 48/22 धारा 323/504/506/34/354/452 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम- व0उ0नि0 कुलदीप सिह उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला मय हमराह थाना निजामाबाद, आमजगढ

थाना- बरदह

फरार अभियुक्त के घर धारा 83 सीआरपीसी की कार्यवाही

दिनांक 11.04.23 को वादी राजेश कुमार राय पुत्र लालसा प्रसाद राय साकिन खराट थाना बरदह आजमगढ़ के तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 133/23 धारा 302,120 B भादवि बनाम वाइस्तफा नन्दिनी चौबे पुत्री सुरेन्द्र चौबे साकिन भूलनडीह थाना बरदह आजमगढ़ व अन्य पंजीकृत किया गया । दौरान विवेचना 1. अतुल राय उर्फ सिटू पुत्र शिवबचन राय 2. शुभम राय उर्फ अमित राय पुत्र शिवबचन राय साकिनान भूलनडीह थाना बरदह आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया ।

दिनांक 27/04/23 को अभियुक्त अतुल राय उर्फ सिंटू राय पुत्र शिवबचन राय साकिन भूलनडीह थाना बरदह आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक तमन्चा .315 बोर व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी । दौरान विवेचना बइस्तफा अभियुक्ता नन्दिनी चौबे पुत्री सुरेन्द्र चौबे साकिन भूलनडीह थाना बरदह आजमगढ़ का घटना में संलिप्त होना पाये जाने पर दिनांक 11.06.023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया । अभियुक्त शुभम राय उर्फ अमित राय पुत्र शिवबचन राय साकिनान भूलनडीह थाना बरदह आजमगढ़ बादस्तुर फरार चल रहा है । जिसके सम्बन्ध में दिनांक 20/07/23 को अभियुक्त शुभम राय उपरोक्त के विरुद्ध धारा 82 crpc की कार्यवाही की गयी । अभियुक्त शुभम राय उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 352/23 धारा 174A भादवि का अभियोग थाना स्थानीय पर पंजीकृत कर आरोप पत्र सं0 299/23 दिनांक 29.08.23 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है । लेकिन अभियुक्त के हाजिर न होने के कारण माननीय न्यायालय मुख्य न्यायीक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के द्वारा अभियुक्त शुभम राय उर्फ अमित उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 18/09/23 को 83 CRPC की कार्यवाही हेतु आदेशिका प्राप्त कर, मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 30/09/23 को अभियुक्त के घर ग्राम भूलनड़ीह जहां पर अभियुक्त की मां चन्द्र कुमारी पत्नी शिवबचन राय व शिवबचन राय पुत्र जोखन राय की मौजूदगी में समक्ष गवाहान कुर्की की कार्यवाही अमल में लायी गयी । कुर्क शुदा सामानो की सूची समक्ष गवाहान को एक एक प्रति दी गयी । **कुर्कशुदा सामानों की सूची निम्नवत है-**

1. दो पुरानी चारापाई, एक गद्दा पुराना,दो ड्रम स्टील पुराना,एक टब प्लास्टीक पुराना, एक सुप पुराना
2. तीन चौकी पुराना, एक गैस चुल्हा पुराना, एक कुकर पुराना, एक कढ़ाही पुरानी, एक स्टील की थाली पुरानी,एक बटुही पुरानी
3. एक बाल्टी पुरानी, एक स्टील भगोना पुराना छोटा, दो ग्लास स्टील पुराना,एक पर्दा पुराना,एक आकारी (भाला) पुराना
4. एक सील पुराना,एक लोढ़ा पुराना,एक टार्च पुराना,एक बक्सा बड़ा पुराना,दो पैन्ट पुराना, एक लोई पुराना, एक दरवाजा पुराना
5. एक मास्किटो रैकेट पुराना,एक कम्बल पुराना,दो पैन्ट का कपड़ा ,एक बेड शीट पुराना,एक स्टाल पुराना,एक लैपटाप बैग पुराना
6. दो प्लास्टिक डिब्बा पुराना,06 पाइप लोहे की पुरानी, एक टब प्लास्टीक पुराना,दो प्लास्टिक बाल्टी पुरानी, 04 कुर्सी पुरानी

थाना- कंधरापुर

चोरी की घटना का अनावरण; चोरी गये बाइक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- वादी अवधेश सिंह S/O स्व0 राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी कप्तानगंज थाना कप्तानगंज आजमगढ़ ने दिनांक- 29.09.2023 को 6.32 PM पर किसी कार्य वश भँवरनाथ तिराहे से 200 मीटर पश्चिम फोरलेन तिराहे पर खड़ी करके गया और दस मिनट के बाद वापस आया तो गाड़ी चोरी हो गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 281/2023 धारा 379/411 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 30.09.2023 को उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराह द्वारा विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त दिनेश चौहान पुत्र नन्दा चौहान निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ को चोरी गये सुपर स्पेलेण्डर मोटर साइकिल जो दुबहरनबुजुर्ग अंडर पास के समय करीब 13.35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 281/2023 धारा 379/411 भादवि. थाना कन्धरापुर आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त- दिनेश चौहान पुत्र नन्दा चौहान निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 146/15 धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट.थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ

2.मु0अ0सं0 302/17 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ।

3. मु0अ0सं0 291/17 धारा 379/411 भादवि कोतवाली आजमगढ।

4. मु0अ0सं0 112/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ।

5. मु0अ0सं0 281/23 धारा 379/411 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ।

बरामदगी- 01 मो0सा0 नं0 UP50 CE 8871 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराह थाना कन्धरापुर आजमगढ़

थाना- निजामाबाद

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक 30.09.2023 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष सच्चिदान्नद यादव द्वारा थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण 1. प्रेम धरिकार पुत्र लालचन्द धरिकार निवासी फरिहा थाना निजामाबाद , आजमगढ 2. सलाहुद्दीन नट पुत्र सौदागर नट निवासी ग्राम फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ 3. अलीहार उर्फ पिल्लू पुत्र मंजुर निवासी सुराई थाना निजामाबाद , आजमगढ 4. शमीम पुत्र मंजूर निवासी सुराई थाना निजामाबाद , आजमगढ 5.शहबाज पुत्र अबू तालिब निवासी फरिहा थाना निजामाबाद , आजमगढ 6. गुड्डू उर्फ शमशाद पुत्र फरियाद अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद, आजमगढ के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-427/23 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 30.09.2023 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह द्वारा गैगेंस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभि0 1. प्रेम धरिकार पुत्र लालचन्द धरिकार निवासी फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ 2. गुड्डू उर्फ शमशाद पुत्र फरियाद अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ 3. सलाहुद्दीन नट पुत्र सौदागर नट निवासी फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ फरिहा से मुहम्मदपुर रोड से समय करीब 11.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। सभी अभियुक्तगण का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग – 1. मु0अ0सं0- 427/23 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास –मु0अ0सं0-84/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना- निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त - 1. प्रेम धरिकार पुत्र लालचन्द धरिकार निवासी फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ

2. गुड्डू उर्फ शमशाद पुत्र फरियाद अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ

3. सलाहुद्दीन नट पुत्र सौदागर नट निवासी फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 सच्चिदान्द थानाध्यक्ष मय हमराह थाना निजामाबाद, जनपद-आजमगढ़।

थाना निजामाबाद

कम्पोजिट विद्यालय में हुई चोरी की घटना का अनावरण; चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 20.08.2023 को वादी श्री रामानन्द यादव पुत्र स्व0 रामबूझ यादव निवासी चकबहोरु थाना निजामाबाद आजमगढ़ (प्रधानाध्यपक कम्पोजिट विद्यालय नदौली) द्वारा विद्यालय में रसोई घर में रखे सिलेंडर व चूल्हा चोरी कर लेने के संबंध में थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र देकर मु0अ0सं0 367/23 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत कराया गया। तथा दिनांक 03.09.2023 को वादी मुकदमा सुजई यादव प्रधानाध्यपक कम्पोजिट विद्यालय खतीरपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा विद्यालय में रसोई घर में रखे सिलेंडर व चूल्हा चोरी कर लेने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 385/23 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 17.07.2023 को असीलपुर बाजार मे स्थित बिजली की दुकान से 7000 रुपये व कास्मेटिक/ मेडिकल की दुकान का शटर खोलकर उसमे लगे कैमरे व हार्डडिस्क चोरी कर लेने के संबंध में मु0अ0सं0 319/23 धारा 457/ 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –दिनांक- 30.09.2023 को उ0नि0 सूरज कुमार चौधरी मय हमराह द्वारा विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त मो0 वसीम पुत्र मुस्ताक निवासी पोखरी फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को मुईयांमकदूपुर मोड़ के पास से मय चोरी गये माल 02 सिलेंडर के साथ समय समय 11.25 बजे गिरफ्तार किया गया तथा माल बरामदगी के आधार पर धारा 411 भा0द0वि0 की बढोत्तरी की गई। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 367/23 धारा 380 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 385/23 धारा 457/380 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 319/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

बरामदगी- 02 सिलेंडर, 500 रुपया नकद

आपराधिक इतिहास- 1.मु0अ0सं0 100/23 धारा 379/411/414 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 100/23 धारा 379/411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम- उ0नि0 सूरज कुमार चौधरी मय हमराह थाना निजामाबाद, आजमगढ

थाना कंधरापुर थानाक्षेत्र में स्कूल न आने पर प्रधानाचार्य व अध्यापक द्वारा छात्र को मारने पीटने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- वादी मुकदमा अखिलेश राम पुत्र अच्छेलाल राम निवासी करेन्हुआ थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ ने थाना कंधरापुर पर शिकायत किया कि वादी के पुत्र अभिषेक कुमार जो श्री दुर्गी जी इण्टर कालेज सेहदा मे पढ़ता है, विगत एक माह से बीमार चल रहा था दिनांक- 26.09.2023 को जब वह स्कूल गया तो विद्यालय के प्रधानाचार्य व उप प्रधानाचार्य द्वारा वादी के लड़के को दूसरे कमरे मे ले जाकर गाली दिए तथा जातिसूचक शब्दो का प्रयोग किए , मारे पीटे व मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 276/2023 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5a एससी एसटी एक्ट बनाम 1.अजीत कुमार यादव पुत्र श्रीराम मूरत यादव उम्र करीब 35 वर्ष ग्राम धरनीपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ 2. कृष्ण कुमार यादव पुत्र उमाशंकर यादव उम्र करीब 31 वर्ष ग्राम शमशल्लीपुर थाना अहिरौला आजमगढ।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 30.09.2023 को व0उ0नि0 ज्ञानप्रकाश तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.अजीत कुमार यादव पुत्र श्रीराम मूरत यादव उम्र करीब 35 वर्ष ग्राम धरनीपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ 2. कृष्ण कुमार यादव पुत्र उमाशंकर यादव उम्र करीब 31 वर्ष को ग्राम शमशल्लीपुर थाना अहिरौला आजमगढ से समय करीब 14.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 276/2023 धारा 323/504 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(Va) SC/ST Act. थाना कंधरापुर, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अजीत कुमार यादव पुत्र श्रीराम मूरत यादव उम्र करीब 35 वर्ष ग्राम धरनीपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़

2. कृष्ण कुमार यादव पुत्र उमाशंकर यादव उम्र करीब 31 वर्ष ग्राम शमशल्लीपुर थाना अहिरौला आजमगढ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 ज्ञानप्रकाश तिवारी मय हमराह थाना कंधरापुर आजमगढ़।

थाना सिधारी

अवैध हेरोइन के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 29.9.23 को उ0नि0 मेहरे आलम मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त दुर्गा जायसवाल पुत्र स्व0 श्रीचन्द जायसवाल निवासी शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़उम्र करीब 52 वर्ष को समय 19.50 बजे 00.08 ग्राम नाजायज हिरोइन के साथ सरदारपुर तिराहे के पास ग्राम शाहगढ़ से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0379/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

दुर्गा जायसवाल पुत्र स्व0 श्रीचन्द जायसवाल निवासी शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष

बरामदगी- 00.08 ग्राम नाजायज हिरोइन

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 0379/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 0379/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

2-मु.अ.स. 200/2020 धारा 8/20 NDPS ACT थाना सिधारी आजमगढ़

3- मु.अ.स 315/2022 धारा 8/20 NDPS ACT थाना सिधारी आजमगढ़

4- मु.अ.स 181/2014 धारा 8/20 NDPS ACT थाना मुबारकपुर आजमगढ़

5- मु.अ.स 151/17 धारा 60 EX ACT थाना मुबारकपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण- उ.नि. मेहरे आलम मय हमराह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

थाना- तरवां

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना संक्षेप में –

वादिनी रेनू कुमारी पुत्री हर्षनाथ निवासी ग्राम हड़ौरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ जो ग्राम हडौरा के पंचायत भवन के पंचायत सहायिका के पद पर नियुक्त है जिनके पंचायत भवन में दिनांक-22.09.2023 की रात्रि में हुई चोरी, एक इन्वर्टर व एक बैट्री के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी जिसके आधार पर थाना तरवां पर दिनांक 23.09.2023 को मु0अ0सं0-260/2023 धारा-280 भादवि अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह महोदय द्वारा सम्पादित किया जा रहा है ।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक- 30.09.2023 को उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित वांछित अभियुक्त संदीप यादव पुत्र सुभाष यादव सा0 भगवानपुर लठवा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को समय 12.05 बजे जियापुर गेट से गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त के पास से एक अवैध चाकू बरामद हुआ जिसके विरुद्ध अलग से आज ही दिनांक-30.9.2023 को मु0अ0सं0 267/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 260/23 धारा-380/411 IPC व 267/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवा जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त ।

बरामदगी-

1- एक चाकू जिसका फल करीब 06 अंगुल व मुठिया करीब 07 अंगुल है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह, का0 सर्वेश कुमार व का0 हिमान्शु थाना तरवा जनपद आजमगढ़

थाना- बरदह

हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास– दिनांक 11/09/23 को वादी मुकदमा जुड़ावन S/0 हरगुन ग्राम केदलीपुर थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 10/09/23 की रात्रि में छत से शौच करने को मना करने पर विपक्षी 1.रामहित पुत्र रामलाल 2. किशन पुत्र रामलाल 3.सागर पुत्र रामहित 4.संगम पुत्र रामहित 5. मोनू पुत्र किशन नि0गण ग्राम केदलीपुर थाना बरदह जिला आजमगढ़ द्वारा गाली गलौज करते हुए मारा पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी । उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 371/23 धारा 323/504/506/34 भादवि बनाम 1.रामहित पुत्र रामलाल आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया । दौरान विवेचना उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 307 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

दिनांक 13/09/23 को अभियुक्त रामहित पुत्र रामलाल निवासी केदलीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– दिनांक 30/09/23 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त किशन पुत्र रामलाल निवासी केदलीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को त्रिवेणी मोड़ से 12.50 बजे हिरासत पुलिस में लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 371/23 धारा 323/504/506/34/307 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-किशन पुत्र रामलाल निवासी केदलीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – 1. व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ़

थाना- निजामाबाद

लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर साम्प्रादायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले 02 अभियुक्तों के विरूद्ध रा0सु0का0 (NSA) की कार्यवाही

श्रावण मास व मोहर्रम त्यौहार के दौरान दिनांक- 22.07.2023 को रात्रि 21.00 बजे अमित सोनकर अपने अन्य साथियों के साथ दुकान बन्द करके अपने घर जा रहा था कि साम्प्रदायिक सौहार्द भंग करने के उद्देश्य से अभियुक्त मो0 शाहआलम उर्फ शहबाज पुत्र हारुन निवासी मोहल्ला तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ अपने अन्य साथीयों के साथ तिग्गीपुर इमाम बाडा के पास अमित सोनकर व उसके साथियों को योजनाबद्ध तरीके से गाड़ाबन्दी करके जान से मारने की नियत से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये लाठी डंण्डा व पंच से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिये जिससे त्यौहार के मध्य दो समुदायों के बीच तनाव व्याप्त हो गया था तथा कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी थी जिसे सामान्य करने के लिये कस्बा निजामाबाद में लगातार 15 दिनों तक भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बलो का व्यवस्थापन करना पड़ा। उक्त घटना के सम्बन्ध में घायल अमित सोनकर के पिता के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0स0- 327/23 धारा-307,323,352,504,34 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम 1. साकिब पुत्र जलालुद्दीन उर्फ कत्तु निवासी तिग्गीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ ,2. वाजिद पुत्र वसीम निवासी तेलीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ आदि 08 नामजद तथा 15-20 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

➡ पूर्व में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के पत्र के आधार पर दिनांक- 15.09.2023 को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त शाहआलम उर्फ शहबाज खांन पुत्र हारुन खान निवासी मुहल्ला सिपाह थाना निजामाबाद आजमगढ़ के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत निरूद्धीकरण की कार्यवाही की गई।

➡ अभियुक्त साकिब पुत्र जलालुद्दीन उर्फ कत्तु निवासी तिग्गीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़, 2.वाजिद पुत्र वसीम निवासी तेलीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ को लेकर आस पास के लोगों मे इस प्रकार भय ब्याप्त है कि लोग इसके विरुद्ध शिकायत करने से डरते है जिस कारण अभियुक्त के जमानत पर छूटने पर शांति व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना के मद्देनजर थानाध्यक्ष थाना निजामाबाद की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के पत्र के आधार पर दिनांक- 28.09.2023 को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त साकिब पुत्र जलालुद्दीन उर्फ कत्तु निवासी तिग्गीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ, 2. वाजिद पुत्र वसीम निवासी तेलीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत निरूद्धीकरण की कार्यवाही की गई।

थाना -देवगांव

हत्या के प्रयास में आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं जुर्माना

➡दिनांक-28.04.2004 को वादी मुकदमा राम सेवक पुत्र स्व0 माधो यादव निवासी फजुल्लाहपुर, थाना देवगांव आजमगढ़ ने थाना देवगांव पर शिकायत की थी कि विपक्षी 1. सतिराज यादव पुत्र माखू यादव निवासी माधोपुर धरांग थाना देवगांव, आजमगढ़, 2. राम दुलार यादव पुत्र फूलचन्द्र, निवासी माधोपुर धरांग, थाना देवगांव, आजमगढ़, 3. मिठाई लाल यादव उर्फ हीरालाल यादव पुत्र छोटू निवासी नाऊपुर, थाना देवगांव आजमगढ़ (मृतक) व 01 बाल अपचारी द्वारा मुकदमें की रंजीश को लेकर वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से पेट में गोली मारी गयी थी।

➡ उपरोक्त नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना देवगांव पर मु0अ0सं0- 117/2004 धारा 307/34,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

➡बाद विवेचना गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मिठाई लाल यादव उर्फ हीरालाल यादव पुत्र छोटू निवासी नाऊपुर, थाना देवगांव आजमगढ़ की मृत्यु हो चुकी है। 01 बाल अपचारी की पत्रावली 9पृथक कर किशोर न्यायबोर्ड भेजी गयी है।

➡दिनांक -30.09.2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 कोर्ट नं0-02 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामदुलार यादव पुत्र फूलचन्द्र यादव को दोष मुक्त किया गया तथा अभियुक्त सतिराज यादव पुत्र माखू यादव निवासी माधोपुर धरांग थाना देवगांव, आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया हैं।